

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान श्रवण बनाम आरती

दमा संख्या/वर्ष टी0आई0 48/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष वि
28/10/23	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री के आर शर्मा एवं अप्रार्थी संख्या 01, 03, 07, 10 लगायत 14, 16 की ओर से अधिवक्ता श्री बंशीधर जाट, अप्रार्थी सं० 2 के अधिवक्ता श्री जयंती सहाय, अप्रार्थी सं० 6 की ओर से अधिवक्ता श्री रामकुमार जाट एवं अप्रार्थी सं० 8 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश पारीक हाजिर। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम तिवाडीवाला, प0ह0 श्योसिंहपुरा, भू0 अभि0 निरी0 क्षे0 कालवाड, तहसील कालवाड जिला जयपुर स्थित खसरा नम्बर 10 रकबा 6.1967 हैक्टे0, खसरा नम्बर 10/64 रकबा 3.2881 हैक्टे0, खसरा नम्बर 10/67 रकबा 0.1897 हैक्टे0, कुल कित्ता 03 कुल रकबा 9.6745 हैक्टे0 भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त, कब्जे काश्त, सहखातेदारी की कृषि भूमि है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण मनबट के अनुसार मौके पर अपने-अपने हिस्से पर काबिज है। अप्रार्थीगण द्वारा बिना विधिक विभाजन करवाये ही वादग्रस्त भूमि पर विक्रय, हस्तानान्तरण, खुर्द-बुर्द करने पर उतारू है। उसे उसकी कब्जे की भूमि से जबरिया बेदखल करने, बेचान, हस्तानान्तरण करने तथा प्लोटिंग कर बेचान करने की ऐलानिया धमकी देते है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर किसी विशिष्ट भू-भाग का बेचान, अन्तरण, हस्तानान्तरण, किसी प्रकार का निर्माण इत्यादि नहीं करने तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट नहीं करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने हेतु निवेदन किया गया है।</p> <p>अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01, 03, 06, 10 लगायत 13, 14 व 16 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र झूठे, बनावटी मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित है। विवादित आराजी सहखातेदारी की भूमि है, जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपने-अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। किसी प्रकार का वादकारण दिनांक 25.09.2023 को उत्पन्न ही नहीं हुआ है। केवल मात्र काल्पनिक आधारों पर वाद पत्र पेश किया गया है। एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार को उसके हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग के संबंध में</p>	

सहायक कलक्टर  
जयपुर शहर प्रथम

26/5/25


किरसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं करवा  
सकता है। अतः प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण की विधिवत् तामील पूर्ण करवाई गई।  
कई अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी अप्रार्थी सं० 2, 7  
व 8 द्वारा जवाब पेश नहीं किया अतएव दिनांक  
12.05.2025 को अप्रार्थी सं० 2, 7 व 8 का जवाब बंद  
किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी 2, 8 ने प्रार्थना पत्र अस्थाई  
निषेधाज्ञा का जवाब नहीं देकर, सीधे बहस हेतु निवेदन  
किया।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली का  
गहनता पूर्वक अवलोकन कर न्यायालय यह पाता है कि  
प्रथम दृष्टया मामला उभयपक्षकारान के पक्ष में प्रतीत होता  
है, चूंकि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र, दावा बाबत विभाजन के  
साथ पेश किया है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी एवं  
अप्रार्थीगण सहखातेदार है। विवादित भूमि का विधिवत्  
विभाजन नहीं हुआ है। अविभाजित भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी  
का इंच टू इंच में हिस्सा निहित होता है।

अतः वाद बहुलता को रोकने एवं वाद की विषय-वस्तु  
को संरक्षित रखने हेतु यह न्यायालय ग्राम तिवाडीवाला,  
प०ह० श्योसिंहपुरा, भू० अभि० निरी० क्षे० कालवाड,  
तहसील कालवाड जिला जयपुर स्थित खसरा नम्बर 10  
रकबा 6.1967 हैक्टे०, खसरा नम्बर 10/64 रकबा 3.2881  
हैक्टे०, खसरा नम्बर 10/67 रकबा 0.1897 हैक्टे०, कुल  
किता 03 कुल रकबा 9.6745 हैक्टे० भूमि पर उभयपक्षों  
को ताफैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु  
पाबंद करता है।

निर्णय आज दिनांक 26/5/25 को सरे इजलास  
सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से  
कम होकर, दाखिल दफ़तर हो।

  
सहायक जज  
जयपुर शहर प्रथम